

# साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, कोलकाता

SAHA INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS, Kolkata

## शोध अध्येताओं हेतु दिशा निर्देश / Guidelines for Research Scholars

2026 के बैच से लागू किया जाएगा और समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।  
*To be implemented from the batch of 2026 and be reviewed from time to time.*

शोधार्थियों के लिए शैक्षणिक वर्ष या तो

1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अगस्त से 31 जुलाई तक होता है।  
पाठ्यक्रम की अवधि 1 अगस्त - 31 जुलाई है।

**For Research Scholars, the academic year is either  
1<sup>st</sup> January – 31<sup>st</sup> December or 1<sup>st</sup> August – 31<sup>st</sup> July.  
The coursework period 1<sup>st</sup> August – 31<sup>st</sup> July.**

1

प्रत्येक शोध छात्र को पहले शैक्षणिक वर्ष में एक परियोजना और एक मुक्त सामान्य व्यापक परीक्षा (OGCE) सहित एक पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (HBNI), मुंबई द्वारा अनुमोदित है, एसआईएनपी जिसकी एक घटक इकाई है।

Every Junior Research Fellow will mandatorily go through a coursework, including a project and an Open General Comprehensive Exam (OGCE), within the first academic year. The coursework is approved by Homi Bhabha National Institute (HBNI), Mumbai, of which SINP is a constituent unit.

2

यदि कोई शोध छात्र पहले वर्ष में न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहता है, तो ओजीसीई न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त होने के बाद ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से दूसरे शैक्षणिक वर्ष के भीतर। पहले दो शैक्षणिक वर्षों में न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने में विफल रहने या दो प्रयासों में ओजीसीई उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर, अध्येता की संबद्धता और फेलोशिप दोनों समाप्त कर दी जाएँगी। प्रत्येक अध्येता को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पीएचडी गाइड आवंटन (पीजीए) फॉर्म भरना होगा। आवंटन के समय पीएचडी गाइड एक डॉक्टरल समिति (डीसी) का गठन करेगा।

If a Research Fellow fails to acquire the minimum credits within the first year, then the OGCE will be conducted only after the minimum credits are obtained, but definitely within the second academic year. Failing to acquire the minimum credits within the first two academic years or clear OGCE in two consecutive attempts, both affiliation and fellowship of the Fellow will be terminated. Each Fellow has to fill up a PhD Guide

	<p>Allotment (PGA) form upon passing the coursework. The PhD guide will form a Doctoral Committee (DC) at the time of allotment.</p>
3	<p>प्रत्येक अध्येता को न्युनतम क्रेडिट के एक भाग के रूप में एक गाइड के अधीन एक परियोजना पर काम करना होगा। आमतौर पर, परियोजना गाइड ही पीएचडी गाइड होगा। इसलिए परियोजना का चयन सावधानी से करना चाहिए।</p> <p>Each Fellow will take up a project under a guide as part of the minimum credits required. Normally, the project guide will be the PhD guide. So one should carefully select the project.</p>
4	<p>एसआईएनपी की अकादमिक स्थायी समिति (एएससी) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में पीएचडी गाइडों की एक सूची प्रकाशित करेगी। सूची में शामिल न होने वाले किसी संकाय सदस्य को उस शैक्षणिक वर्ष में कोई शोध छात्र आवंटित नहीं किया जाएगा।</p> <p>Standing Academic Committee (ASC) of SINP will publish a list of probable PhD guides at the beginning of each academic year. A faculty member not appearing in the list will not be allotted a Research Fellow in that academic year.</p>
5	<p>प्रत्येक शोध छात्र को संतोषजनक वार्षिक प्रदर्शन के अधीन अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि के लिए फ़ेलोशिप प्राप्त होगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में, प्रत्येक अध्येता अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए संबद्धता नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में एचबीएनआई और एसआईएनपी दोनों को एक वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) प्रस्तुत करेगा। छठे वर्ष (पठ्ठि के दिशानिर्देशों के अनुसार) आंशिक सहायता उपलब्ध हो सकती है।</p> <p>Each Research Fellow will receive a fellowship for a maximum period of five years subject to satisfactory annual performance. Close to the end of each academic year, each Fellow will submit an Annual Performance Report (APR) both to HBNI and SINP for renewal of affiliation for the next academic year in a prescribed format. Partial support may be available on the 6<sup>th</sup> year (as per DAE guidelines).</p>
6	<p>प्रत्येक शोधार्थी को अपने कार्यकाल के पहले चार वर्षों के भीतर छात्रावास आवास के लिए आवेदन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में एक शोधार्थी को अनंतिम पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के बाद या 7 साल की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि सीमित छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए शोधार्थियों को जल्दी आवेदन करना चाहिए।</p> <p>A Fellow may apply for hostel accommodation within the first four years of the tenure. Under no circumstances, a Fellow will be allowed to stay in the hostel after receiving</p>

	<p>provisional degree certificate of PhD or at the end of 7<sup>th</sup> year, whichever is earlier. Since limited hostel facilities are available, a Fellow should apply early.</p>
<p>7</p>	<p>प्रत्येक शोध छात्र को पीएचडी के लिए एचबीएनआई में नामांकन कराना होगा। यह दो चरणों वाली प्रक्रिया है: संस्थान में शामिल होने के एक महीने के भीतर नामांकन फॉर्म का भाग ए जमा करना और ओजीसीई पूरा करने के बाद भाग बी और सी जमा करना।</p> <p>Each Fellow must enrol with HBNI for PhD. It is a two-step process: By submitting Part A of the enrolment form within one month of joining the Institute and subsequently by submitting Part B and Part C forms after completing the OGCE.</p>
<p>8</p>	<p>स्थायी शैक्षणिक समिति (एसएसी) में निदेशक या अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान के डीन, अकादमिक, रासायनिक और जीवन विज्ञान के डीन, छात्र मामलों के डीन, पाठ्यक्रम समन्वयक और संकाय के कुछ प्रतिनिधि शामिल होंगे जो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान शोध की निगरानी करेंगे। प्रत्येक शोधार्थी को पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान सूचना और संसाधन प्रभाग (एसआईआरडी) में एडमिशन दिया जाएगा। गाइड आवंटन के बाद एक शोधार्थी उस समूह (ए/बी/सी/डी) में शामिल हो जाएगा जिससे गाइड संबंधित है। पाठ्यक्रम समन्वयक पाठ्यक्रम कार्य के दौरान प्रत्येक शोधार्थी की शैक्षणिक प्रगति की निगरानी करेंगे और एसएसी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>SAC, consisting of the Director or a Senior Professor as Chairperson, Dean Academic of Physical Sciences, Dean Academic of Chemical and Life Sciences, Dean of Students' Affairs, Coursework Coordinators and some representatives of faculty, will monitor the progress of all Fellows during their entire tenure. Each Fellow will be admitted to the Science Information &amp; Resource Division (SIRD) during the coursework. After PhD guide allotment, the Fellow will join a research group (A/B/C/D), to which the PhD guide belongs to. Coursework Coordinators will monitor the academic progress of each Fellow during the coursework and report to SAC.</p>
<p>9</p>	<p>गाइड आवंटन के समय प्रत्येक गाइड को एचबीएनआई नियमों (नीचे 10 में देखें) का पालन करते हुए प्रत्येक शोध छात्र के लिए एक डीसी प्रस्तावित करना होगा। एसएसी डीसी की पुष्टि करेगा। संबंधित डीसी शोध छात्र की प्रगति की बारीकी से निगरानी करेगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत तक एसएसी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जब तक छात्र की संस्थान से वैध संबद्धता रहेगी।</p> <p>The PhD guide will propose a DC for each Fellow following HBNI rules (see point number 10 below). SAC will ratify the DC. The DC will monitor the progress of the Fellow and submit a progress report to SAC by the end of each academic year up to the</p>

time the Fellow has a valid affiliation with the Institute.

10

डॉक्टरेट समिति की संरचना: (एचबीएनआई दिशानिर्देशों के अनुसार) / Structure of the Doctoral Committee (as per HBNI Guidelines):

► प्रत्येक डीसी में एक अध्यक्ष (एसोसिएट प्रोफेसर या उससे ऊपर के पद पर), एक संयोजक (फेलो का मार्गदर्शक), एक सह-मार्गदर्शक (यदि लागू हो), और तीन अतिरिक्त सदस्य शामिल होंगे, जिनमें किसी अन्य सीआई या समान प्रतिष्ठा वाले किसी संस्थान या विश्वविद्यालय से एक बाहरी सदस्य भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, यदि लागू हो, तो एक तकनीकी सलाहकार को डीसी में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। कोई भी गाइड संबंधित डीन अकादमिक के परामर्श से डीसी में बदलाव की मांग कर सकता है। डीसी के अध्यक्ष को बदलने के लिए एएससी या निदेशक की स्वीकृति आवश्यक है।

Each DC will consist of a Chairperson (at or above the rank of an Associate Professor), a Convener (the Guide of the Fellow), a co-Guide (if applicable), and three additional members, including one external member from another CI or a similar institute or university of comparable reputation. Additionally, a technical adviser, if applicable, can be included as a permanent invitee to the DC. A guide can seek a change in DC in consultation with the respective Dean Academic. Changing the chairperson of the DC will require approval of the SAC or the Director.

11

एचबीएनआई में नामांकन हेतु, प्रत्येक शोध अध्येता को संस्थान में प्रवेश के तुरंत बाद डीन अकादमिक से संपर्क करना चाहिए। हालाँकि संबद्धता की सामान्य अवधि 5 वर्ष की होती है, एचबीएनआई संतोषजनक औचित्य के अधीन, संबद्धता को अधिकतम 7 वर्ष तक बढ़ा सकता है। एक शोध अध्येता नामांकन की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष की कार्यकाल अवधि के बाद अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत कर सकता है।

To enrol with HBNI, each Fellow should approach the Dean Academic immediately after joining the Institute. Although the normal tenure of affiliation is 5 years, HBNI can extend the affiliation up to a maximum of 7 years, subject to satisfactory justifications. A Fellow can submit a thesis after a residency period of 3 years from the date of enrolment.

12

संबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए, प्रत्येक फेलो को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत तक एक वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) जमा करनी चाहिए। एचबीएनआई का एपीआर फॉर्म एचबीएनआई वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे हर साल समय सीमा से पहले एचबीएनआई को जमा करना चाहिए। प्रत्येक अध्येता को एसआईएनपी में संबद्धता के नवीनीकरण के लिए एचबीएनआई एपीआर की एक प्रति और एसआईएनपी वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अतिरिक्त

जानकारी जमा करनी चाहिए। प्रत्येक गाइड को प्रगति का आकलन करने के लिए शोध अध्येता के साथ डीसी की वार्षिक बैठक की व्यवस्था करनी चाहिए। फॉर्म को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत तक एसआईआरडी को जमा करना चाहिए। 5वें से 6वें वर्ष तक का नवीनीकरण प्रपत्र पिछले वर्षों की तुलना में तीन महीने पहले जमा किया जाना चाहिए। \*[एचबीएनआई ने एपीआर देर से जमा करने पर जुर्माना लगाया है (एक महीने की छूट अवधि को मंजूरी दी गई है), परिपत्र एचबीएनआई/आरओ/6/2024/1114 देखें]।

एसआईएनपी संबद्धता को नवीनीकृत करने के समय दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी:

प्रकाशन की पूरी सूची, वे प्रकाशन जो शोध अध्येता की थीसिस में शामिल होंगे, कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए पोस्टर/सेमिनार, शोध अध्येता द्वारा दिए गए सेमिनार (पूरी जानकारी के साथ), शोध अध्येता द्वारा भागीदारी किए गए सेमिनार, शोध अध्येता द्वारा भागीदारी किए गए एसआईएनपी कोलोकियम, संस्थान के कार्यक्रम (स्थापना दिवस/आउटरीच कार्यक्रम/विज्ञान दिवस, आदि) जिनमें शोध अध्येता ने हिस्सा लिया और उस गतिविधि में अध्येता की खास भूमिका का ज़िक्र, अध्येता द्वारा आयोजित समूह कार्यक्रम (सेमिनार/आउटरीच), अध्येता द्वारा पूरी की गई शिक्षण सहायता। एक छमाही में एक पूर्ण पाठ्यक्रम (3 क्रेडिट पाठ्यक्रम) पूरा करने के बाद शोध अध्येता को आमतौर पर टीए प्रमाणपत्र दिया जाता है। अगर कोई अध्येता इस दौरान टीए पूरा नहीं कर पाता है, तो वह अगले सालों में दूसरा टीए ले सकता है।

To renew affiliation, each Fellow should submit an Annual Performance Report (APR) by the end of each academic year. HBNI has its APR format available in the HBNI website which should be submitted to HBNI every year, before the deadline. Each Fellow should submit a copy of the HBNI APR and some additional information (available on the SINP website) for renewal of affiliation in SINP. Each Guide should arrange a close door annual meeting of DC with the Fellow to assess the progress. The APR and the additional info should be submitted to SIRD by the end of each academic year. APR from 5th to 6th year should be submitted at least 3 months earlier than the previous years. \*[HBNI has imposed a fine for late submission of APR, see Circular HBNI/RO/6/2024/1114].

The additional information to be furnished at the time of renewal of SINP affiliation:

Full list of publications, publications which will be included in the thesis of the Fellow, posters/seminars presented in conferences, seminars given by the Fellow with details, seminars attended by the Fellow, SINP colloquia attended by the Fellow, Institute events (Foundation day/outreach program/Science day, etc.) participated mentioning the specific role of the Fellow in that activity, Group events (seminar/outreach) organized

	<p>by the Fellow, Teaching Assistantship completed by the fellow. A TA certificate is generally given to the Research Fellow after attending one full course work (3 credit course) in a semester. If a TA falls short of this, he/she may take another TA in the subsequent years.</p>
<b>13</b>	<p>यदि गाइड में बदलाव की आवश्यकता है तो एक शोध अध्येता को संबंधित डीन-अकादमिक से संपर्क करना चाहिए। एससी आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले को 'अत्यावश्यक' रूप में ग्रहण करेगा।</p> <p>If a change of Guide is warranted, a Fellow should immediately approach the respective Dean Academic. SAC will take up the case as 'urgent' for any further action.</p>
<b>14</b>	<p>एचबीएनआई में नामांकन की तिथि से प्रत्येक छात्र के लिए पीएचडी कार्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष है। अगर उक्त अवधि के दौरान थीसिस जमा नहीं होती है, तो एचबीएनआई किसी अध्येता को छठे या सातवें वर्ष में थीसिस जमा करने की अनुमति दे सकता है।</p> <p>The duration of the PhD program for each Fellow from the date of enrollment in HBNI is five years. Failing to submit, HBNI may allow a Fellow to submit the thesis on the 6<sup>th</sup> or 7<sup>th</sup> year.</p>
<b>15</b>	<p>प्रत्येक शोध छात्र को पीएचडी के लिए अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तुरंत बाद या संस्थान छोड़ते समय, जो भी पहले हो, निर्धारित प्रारूप में संबंधित समूह को 'नो-डियू' क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>Every Fellow should submit a 'no-due' Clearance certificate to the group office in prescribed format immediately upon obtaining the Provisional Degree Certificate for PhD or at the time of leaving the Institute, whichever is earlier.</p>
<b>16</b>	<p>शोधार्थी संस्थान में शामिल होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आकस्मिकता के लिए पात्र हैं। एक वित्तीय वर्ष की अव्ययित आकस्मिकता की शेष राशि का दावा अगले वर्ष किया जा सकता है। आकस्मिकता का दावा का.जा.: 1101/7/2023/Common Matter/R&amp;D-II/10147 दिनांक 12 जुलाई 2024 का अनुसरण कर किया जा सकता है।</p> <p>Fellows are eligible for annual Contingency for a maximum period of 5 years from the date of joining the Institute. The unspent balance in contingency from one financial year may be carried forward to the next financial year. Contingency can be claimed following the OM: 1101/7/2023/Common Matter/R&amp;D-II/10147 dated 12 July 2024.</p> <p>► (1) पुस्तकों/पत्रिकाओं (ख) स्टेशनरी (ग) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की खरीद (घ) मेलिंग खर्च और (2) सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा।</p>

(1) Purchase of (a) books/journals (b) stationary (c) computer software and hardware (d) mailing expenses, and (2) travel for attending seminars/conferences/schools.

► ऊपर दर्शाए गए कार्य-संबंधित यात्रा के अलावा वास्तविक लागत, नामांकन शुल्क, थीसिस मूल्यांकन शुल्क और अन्य समान शुल्क, जहां भी लागू हो, की प्रतिपूर्ति, जो शोध अध्येताओं द्वारा विश्वविद्यालयों को भुगतान की जाती है, आकस्मिक अनुदान का हिस्सा नहीं होगी और संस्थान के बजट द्वारा वहन की जाएगी।

Actual work-related travel expenses other than those indicated above, enrollment fees, thesis evaluation fees and other similar fees, wherever applicable, paid by the Fellow to the university will not be part of the contingency grant and will be borne from the Institute's budget.

► सभी खरीद को पाठ्यक्रम समन्वयक/पीएचडी गाइड द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए और मूल केश मेमो संलग्न किया जाना चाहिए (समन्वयक/पीएचडी गाइड द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)।

All contingency purchases must be endorsed by the course coordinators or PhD guide. Original cash memos must be enclosed (duly signed by the coordinator or the PhD guide).

17

शोध छात्र के लिए यात्रा नियम एचबीएनआई नियमों के अनुसार होंगे।

Travel rules for Fellow will be as per the HBNI rules.

18

संस्थान के नियमों के अनुसार आकस्मिक अवकाश के अलावा प्रति वर्ष अधिकतम 30 दिनों की छुट्टियों की अनुमति है। मातृत्व/पितृत्व अवकाश भारत सरकार के नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगा। भारत या विदेश में किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम में भागीदारी को 'ऑन डियूटी' माना जाएगा। पीएचडी की पढ़ाई के दौरान, संस्थान के कार्यक्रमों के अनुसार छुट्टियां नियमित छुट्टियों तक ही सीमित रहेंगी। हर महीने अटेंडेंस फॉर्म भरकर रेगुलर अटेंडेंस पक्का किया जाना चाहिए (फॉर्म समूह कार्यालय या एसआईआरडी से मिल सकता है) और उस पर गाइड का हस्ताक्षर होना चाहिए। किसी भी गड़बड़ी की जानकारी समूह प्रमुख और अकादमिक स्थायी समिति को देनी चाहिए।

A maximum 30 days of leave per year, in addition to casual leave, as per rules of the Institution, are allowed. Maternity/Paternity Leaves will be admissible as per GOI rules. Participation to any scientific event in India or abroad will be treated as 'on duty'. While pursuing PhD, leaves will be limited to regular vacations as per the programs of the Institute. Regular attendance must be ensured by filling up the attendance form every month (the form can be obtained from the Group office or SIRD) and get it signed by the guide. Any irregularity should be brought to the notice of the Group Head and

	Standing Academic Committee.
19	<p>प्रत्येक अध्येता के लिए पूरी संबद्धता अवधि के दौरान न्यूनतम 3 लाख रुपये प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कराना अनिवार्य है।</p> <p>For the entire period of affiliation of each Research Fellow, it is mandatory to have a health insurance with a minimum coverage of Rs 3 lakh per year.</p>
20	<p>पीएचडी थीसिस के सफल त्राण के बाद जमानती राशि वापस कर दी जाएगी।</p> <p>The caution money will be refunded after successful defense of the PhD thesis.</p>
21	<p>यूजीसी की 23 जुलाई, 2018 की अधिसूचना के अनुसार "उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देना और साहित्यिक चोरी की रोकथाम" और एचबीएनआई के 31 जनवरी, 2019 के संबंधित परिपत्र के अनुसार पीएचडी थीसिस को जमा करने से पहले साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांचा जाना चाहिए। एक शोध छात्र को यूजीसी अधिसूचना के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। थीसिस के साथ छात्र द्वारा हस्ताक्षरित और थीसिस पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में विधिवत समर्थित 'शैक्षणिक अखंडता पर प्रमाण पत्र' संलग्न होना चाहिए (एचबीएनआई वेबसाइट पास उपलब्ध)। एसआईएनपी में साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर का प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध है, तथा पीएचडी गाइड द्वारा अनुमोदित थीसिस का केवल अंतिम संस्करण ही सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p> <p>By the UGC notification, dated 23/07/2018, on "Promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institutions" and the relevant circular dated 31/01/2019 from HBNI, each PhD thesis must be checked by a plagiarism detection software before submission. A research fellow should strictly follow the guidelines of the UGC notification. Each thesis must accompany a 'certificate on academic integrity' signed by the student and duly endorsed by the PhD Guide in the prescribed format (available on the HBNI website). An authentic version of a plagiarism detection software is available in SINP and only the final version of the thesis endorsed by the PhD Guide should be submitted for verification.</p>
22	<p>संस्थान द्वारा प्रदान की गई आईटी अवसंरचना और ईमेल सेवा का उपयोग शोधार्थियों द्वारा संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित नीतियों के अनुसार किया जाना चाहिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000,</li> <li>(2) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (संशोधित 2023) और</li> <li>(3) परमाणु ऊर्जा विभाग की मीडिया नीति।</li> </ol>

IT infrastructure and email service provided by the institute should be used by the research scholars as per Institute guidelines. Use of social media must adhere to the following policies:

- (1) *Information Technology Act, 2000*,
- (2) *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (Amended 2023)* and
- (3) *Department of Atomic Energy Media Policy*.